

बिहार सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचना

सं०सं०:-३ए-३-(या०भ०)-०१/२०१०-...../वि०, पटना, दिनांक-.....

भारत के संविधान के अनुच्छेद, ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्वारा बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, १९४९ में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) नियमावली, २०२६

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (१) यह नियमावली "बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) नियमावली, २०२६" कही जा सकेगी।
- (२) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी।
- (३) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

२. बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, १९४९ के नियम-६९(१) के नोट-(vii) के बाद नोट-(viii) निम्नवत् जोड़ा जायेगा:-

"(viii) सरकारी कार्य प्रयोजनार्थ विदेश यात्रा के दौरान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर से दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा।"

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(जय सिंह)

सचिव (संसाधन)।

सं०सं०:-३ए-३-(या०भ०)-०१/२०१०-...../वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(जय सिंह)

सचिव (संसाधन)।

सं०सं०:-३ए-३-(या०म०)-०१/२०१०-...../वि०, पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।

सं०सं०:-३ए-३-(या०म०)-०१/२०१०-...../वि०, पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।

सं०सं०:-३ए-३-(या०म०)-०१/२०१०-...../वि०, पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा-२६ / प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट शाखा / सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।

सं०सं०:-३ए-३-(या०म०)-०१/२०१०-^{१९२६}...../वि०, पटना, दिनांक-^{२३-०२-२०२६}.....
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-**२०.०२.२०२६** के मद संख्या-**१७** में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।